उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या- 10/2021/1157/94-स्टा0नि0-2-2021-700(31)/2021

लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2021

<u>अधिसूचना</u>

<u>आदेश</u>

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्थित तहसील सरोजिनी नगर जिला लखनऊ की चिन्हित 80 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में, डी0आर0डी0ओ0 ब्रम्होस के पक्ष में निष्पादित, हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं-

2- यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:-

(क) उक्त इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;

(ख) जिला का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-10/2021/1157/94-स्टा0नि0-2-2021-700(31)/2021 दिनांक: 29 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक- 29 नवम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या:-10/2021/1157/94-स्टा0नि0-2-2021-700(31)/2021 दिनांक: 29 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन|
2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ0प्र0 कानपुर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी यू0पी0डा0 लखनऊ|
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ|
4- मण्डलायुक्त, उ0प्र0 लखनऊ|
5- महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0|
6- जिलाधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ|
7- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), लखनऊ पदेन जिला निबंधक|
8- उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0 लखनऊ|
9- सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0 लखनऊ|
10- विधायी अनुभाग-1
11- भाषा अनुभाग-5
12- गार्ड फाइल|

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 10/2021/1157/94-S.R.-2-2021-700(31)/2021 dated, 29 November, 2021:

ORDER

Notification

No. 10/2021/1157/94-S.R.-2-2021-700(31)/2021
Lucknow, Dated 29 November, 2021

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor, from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to remit the stamp duty payable on the conveyance deed / lease deed executed in favour of D.R.D.O. Brahmos, relating to the identified 80 hectare land of Tahesil Sarojini Nagar, District Lucknow located in Lucknow node of Uttar Pradesh Defense Industrial Corridor.

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

a. The Unit shall not be provided with other remittance or facility under any other policy of the State Government.
b. The District Magistrate of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।